



भारतसरकार
Government of India
विद्युतमंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युतप्राधिकरण
Central Electricity Authority
पी.डी.एम. प्रभाग
Power Data Management Division

सेवा में,

चीफजनरल मैनेजर,
नेवेली थर्मल पावर स्टेशन- 1,
एनएलसी इंडिया लिमिटेड,
नेवेली- 607807, तमिलनाडु

विषय:- एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नेवेली थर्मल पावर स्टेशन- 1 की यूनिट सं. 1 व 9 (50 मेगावाट +100 मेगावाट) को रिटायर करने के संबंध में।

महोदय,

चीफजनरल मैनेजर, नेवेली TPS-I से एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नेवेली थर्मल पावर स्टेशन- 1 की इकाई सं. 1 और 9 (50MW + 100MW) के रिटायरमेंट के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र सं. TPS-I/P&T/Decon/151/ 2020 दिनांक 02.04.2020 की ओर सन्दर्भ आमंत्रित है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत विवरण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देखलिये गए हैं।

27.02.2020 को आयोजित 498वीं बोर्ड की बैठक के मिनट्स से यह देखा गया है कि NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने न्यू नेवेली थर्मल पावर स्टेशन की इकाई सं. 2 के सितंबर, 2020 तक स्थिरीकरण को ध्यान में रखते हुए नेवेली TPS-I को मार्च, 2020 से सितंबर, 2020 तक चरणबद्ध तरीके से हटाने की मंजूरी दे दी है। NLC India Limited ने phase out plan के अनुसार नेवेली TPS-I की इकाई सं.1 और 9 (50MW + 100MW) को दिनांक 31.03.2020 को सेवा निवृत्त कर दिया है।

नेवेली थर्मल पावर स्टेशन- 1 की इकाई सं.1 और 9 (50MW + 100MW) को सेवानिवृत्त करने का निर्णय तकनीकी-आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर NLC India Limited द्वारा लिया गया है। उनके निर्णय के आधार पर, इन इकाइयों की क्षमता को 31.03.2020 से प्रभावी अखिल भारतीय स्थापित क्षमता के डेटाबेस से हटा दिया जा रहा है।

भवदीय,

(पी.सी. कुरील)

सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

- | | |
|---|--|
| 1. पी.पी.एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय | 2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक |
| 3. के.वि.प्रा. के सभी अधिनस्थ कार्यालयों के प्रधान | 4. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता |
| 5. सदस्य (योजना/ जल विद्युत/ तापीय/ आ.एवं वा. / जी.ओ.एंड डी/ पी.एस.), के.वि.प्रा. | 6. आई.टी.प्रभाग, के.वि.प्रा. को के.वि.प्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए |



भारत सरकार

Government of India

विद्युतमंत्रालय

Ministry of Power

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

Central Electricity Authority

पी. डी. एस. प्रभाग

Power Data Management Division

To,

Chief General Manager,
Neyveli Thermal Power Station-I,
NLC India Limited,
Neyveli- 607807
Tamil Nadu

Subject: Retirement of Unit No. 1 & 9 (50MW+ 100MW) of Neyveli Thermal Power Station-I -NLC India Limited- regarding.

Sir,

Reference is invited to letter No. TPS-I/P&T/Decom/151/ 2020 dated 02.04.2020 from Chief General Manager, Neyveli TPS-I regarding Retirement of Neyveli Thermal Power Station-I Unit No. 1 & 9 (50MW+ 100MW) of NLC India Limited. The details furnished by NLC India Limited have been seen by the Central Electricity Authority.

It is seen from extract of minutes of meeting of 498th Board meeting held on 27.02.2020 that Board of Directors of NLC India Limited has accorded approval to phase out Neyveli TPS-I from March, 2020 to September, 2020 considering the stabilization of Unit 2 of New Neyveli Thermal Power Station by September, 2020. The capacity of Unit No. 1 (50 MW) and Unit-9 (100 MW) was decommissioned on 31.03.2020 by NLC India Limited according to their phase out plan.

The decision to decommission Unit No.1 & 9 (50MW +100 MW) of Neyveli Thermal Power Station has been taken by NLC India Limited based on techno-economic & environmental reasons. Based on their decision, the capacity of these units is being deleted from the database of All India Installed Capacity with effect from 31.03.2020.

Yours faithfully

(P.C.Kureel)
Secretary, CEA

Copy for information to:

1. PPS, Secretary, MoP
2. SA to Chairperson, CEA
3. All Chief Engineers of CEA
4. All Heads of Subordinate offices, CEA
5. SA to Member (Planning/Hydro/
Thermal/ E&C/ GO&D/PS), CEA
6. IT Division, CEA for uploading on CEA website